न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 39/2018

1 मृतक मो. हुसैन पुत्र अल्लादीन निवासी वार्ड नम्बर 3 बिसाऊ तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं। नोटः– दौराने अपील दिनांक 11.12.2018 को देहान्त हो गया।
1/1 मृतका आशीया पत्नी स्व. मोहम्मद हुसैन निवासी वार्ड नम्बर 3 बिसाऊ तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं नोटः– दौराने अपील दिनांक 10.01.2024 को देहान्त हो गया।
1/2 मो. रफीक उम्र 48 साल पुत्र
1/3 मो. आरीफ उम्र 42 साल पुत्र
1/4 मो. आवेश उम्र 38 साल पुत्र
1/5 मो. फारूक उम्र 35 साल पुत्र स्व. मोहम्मद हुसैन निवासी वार्ड नम्बर 3 बिसाउ तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं।
1/6 मेमुना उम्र 45 साल पुत्री स्व. मोह. हुसैन पत्नी मोहम्मद अयुब निवासी वार्ड नम्बर 4 बिसाऊ जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 शौकत अली उम्र व्यस्क
2 मोहम्मद इलियास उम्र व्यस्क पुत्रगण अलादीन जाति व्यापारी मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 3 बिसाऊ तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं राज.।
3 अयुब खां व्यस्क पुत्र हिदायत खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 13 बिसाऊ तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं।
4 नगरपालिका बिसाऊ जरिये अधिकारी अधिकारी नगर पालिका बिसाऊ तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं।
5 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बिसाऊ जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी • सीकर •

अपील बखिलाफ निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर मुकदमा उनवानी शौकतअली बनाम मो. हुसैन प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 97/2013 निर्णय दिनांक 17.04.2018

उपस्थिति :

1. श्री विनोद गिल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शिवनारायण सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः—24/6/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 97/2013 में पारित निर्णय दिनांक 17.04.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर गत 240/2 हाल खसरा नम्बर 455 वाके ग्राम बिसाऊ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र में अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 28.12.011 को ताफैसला दावा तक अप्रार्थीगण को पाबन्द कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वाद में वर्णित भूमि गत खसरा नम्बर 240/2 तादादी 5 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बर 455 रकबा 1.27 हैक्टेयर उक्त भूमि मूलरूप से मालाराम की खातेदारी की भूमि थी। मालाराम ने उक्त भूमि मोहम्मद इलियास को विक्रय कर दी। विक्रय पत्र दिनांक 09.08.84 को तस्दीक हो गया। मो. इलियास ने उक्त भूमि दिनांक 25.09.08 को अयुब खां को विक्रय कर दी।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अयुब खां ने दिनांक 01.12.2008 को उक्त भूमि मोहम्मद हुसैन को विक्रय कर दी। इस प्रकार उक्त भूमि में मो. हुसैन के अलावा किसी का कोई हिस्सा नहीं है। शौकत अली का वाद में वर्णित भूमि में हिस्सा ना तो पहले था तथा ना ही अब है। उक्त दावा इकरारनामा के आधार पर प्रस्तुत किया है इकरारनामा के आधार पर खातेदारी राईट नहीं मिलते। विचारण न्यायालय ने गलत रूप से दर्ज किया है कि साक्ष्य सबूत के पश्चात हक हिस्सा तय होना है। चुकि विचारण न्यायालय के समक्ष दावा ही गलत रूप से पेश किया गया है उक्त दावा चलने लायक नहीं है फिर भी विचारण न्यायालय ने आवेदक शोकत के हक में स्थगन जारी करने में गलती कानूनी की है। विचारण न्यायालय ने ना तो राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया ना ही प्रथम दृष्टया बिन्दु पर गौर किया। विचारण न्यायालय का निर्णय राजस्व रिकार्ड के विपरित जाकर के किया गया है जो काबिले निरस्त है। विचारण न्यायालय ने कयास के आधार पर निर्णय पारित कर दिया। शोकत का वाद में वर्णित भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है। निर्णय में सुविधा का संतुलन अपूरणीय क्षति व प्रथम दृष्टया मामला बिन्दुओं का विश्लेषण किये बिना निर्णय पारित किया है जो काबिले खारिज है। अपील स्वीकार की जाकर निर्णय विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर दिनांक 17.04.2018 निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट का वाद लंबित है। पक्षकारों के मध्य हितों का निर्धारण मूलवाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरांत किया जाना शेष है। इससे पूर्व विवादित भूमि खुर्द बुर्द नहीं हो एवं पक्षकारों के मध्य वाद बाहुल्यता नहीं हो इसे दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 1998(2) राज पेज 741, डीएनजे 2006(1) पेज 421, आरएलडब्ल्यू 1987 राज पेज 575, आरएलडब्ल्यू 2005(1) एससी पेज 102, डब्ल्यूएलसी 2008(2) सिवी. एससी पेज 528 बी, आरआरटी 2017(2) पेज 1100, आरआरटी 2019(2) पेज 1100 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय संक्षिप्त रूप से आदेशिका में पारित कर रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों की अवहेलना की है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय में पत्रावली में प्रस्तुत तथ्यों व साक्ष्य का विवेचन कर धारा 212 के आवेदन के निस्तारण के लिए निर्धारित तीनों घटकों प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु को निस्तारित किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है।

विचारण न्यायालय की आदेशिका के अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 28.12.2011 से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर रखी है। धारा 212 का अंतिम निर्णय करते समय प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विवेचन किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर विवेचन एवं विश्लेषण कर गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 24/6/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)